

# नगरीय विकास योजना 2026-27 तक जारी

मंत्रि-परिषद की बैठक में 500 करोड़ का अतिरिक्त बजट मंजूर

भोपाल, 02 दिसंबर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा के समिति कक्ष में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई.

बैठक में नगरीय क्षेत्र के विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं पर निर्णय लिए गए. सरकार ने मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना को वर्ष 2026-27 तक जारी रखने का फैसला किया है. इसके लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. योजना के अंतर्गत अब तक 1,070 करोड़ रुपये की 1,062 परियोजनाएं

स्वीकृत की जा चुकी हैं. इनमें 325 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 407 कार्य प्रगतिरत हैं और 330 परियोजनाएं डीपीआर स्वीकृति या निविदा प्रक्रिया में हैं. इस योजना के तहत पेयजल, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, सड़क और नाली निर्माण, शमशान घाट, सामुदायिक भवन, रैन बसेरा और खेल मैदान जैसे विकास कार्य किए जाते हैं. बैठक में मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता बाह्य वित्त पोषित योजना के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए भी मंजूरी दी गई. पहले से स्वीकृत 12 करोड़ 32 लाख रुपये के अलावा अब 9 करोड़ 45 लाख

रुपये अतिरिक्त खर्च करने की अनुमति प्रदान की गई है. इसके अलावा राज्य सेवा परीक्षा 2022 में परिवहन उप निरीक्षक पद के लिए चयनित 29 में से 25 उम्मीदवारों को नई शर्तों के साथ नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है. इन उम्मीदवारों को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और ड्राइविंग लाइसेंस के दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे. यदि कोई उम्मीदवार परिवीक्षा अवधि में यह दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएंगी.

स्कूल के खाली भवनों में कॉलेज की कक्षाएं शुरू करने पर हो विचार : सीएम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज से अपने मंत्रियों और विभागों का परफॉर्मस रिव्यू किया. इसकी शुरुआत सीनियर मंत्री प्रहलाद पटेल, उदय प्रताप सिंह, तुलसी सिलावट और प्रद्युम्न सिंह तोमर से की. सीएम मंत्रियों से दो साल का लेखा-जोखा लिया. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विधानसभा कक्ष में स्कूल शिक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्कूल भवनों में शेष खाली समय का उपयोग कर महाविद्यालय की कक्षाओं की व्यवस्था प्रारंभ करने पर विचार करें. सीएम ने विभिन्न योजनाओं के प्रभाव की

जानकारी भी अधिकारियों से प्राप्त की. दो वर्ष की उपलब्धियां

- 2,472 ग्राम सेवा सदन और 106 अटल सुशासन भवन स्वीकृत  
- 5 जिला स्तरीय अटल सुशासन भवन और 3,560 सामुदायिक भवन मंजूर  
- नर्मदा परिक्रमा पथ के 231 आश्रय स्थलों, 89 नदी उद्गम स्थलों पर फेंसिंग कार्य  
- ग्रामीण सड़क विकास के तहत 30,900 किमी सड़कों को मंजूरी  
- हर विधानसभा में वृन्दावन ग्राम योजना के लिए ग्राम चयन  
- जल गंगा संवर्धन अभियान में




60,428 कार्य, 1368 करोड़ रूपय  
- 1,224 जल संरक्षण संरचनाओं से

6,170 हेक्टेयर में सिंचाई  
- 'कैच द रेन' अभियान में खरगोन जिला को राष्ट्रीय जल पुरस्कार

पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कार्यकर्ताओं से किया संवाद

भोपाल, 02 दिसंबर. मंत्री राकेश सिंह एवं दिलीप अहिरवार ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में दोपहर 1 से 3 बजे तक प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनकी जनसमस्याओं का त्वरित समाधान किया.

जिन जनसमस्याओं का त्वरित समाधान नहीं हो सका, उन्हें संबंधित विभागों को भेजा गया है। कार्यकर्ताओं से संवाद एवं समन्वय के बाद मध्यप्रदेश शासन के मंत्रीराकेश सिंह ने कहा कि चाहे सरकार में मंत्री हों या जनप्रतिनिधि, सभी मूल रूप से भाजपा कार्यकर्ता हैं. शासन में बैठे कार्यकर्ताओं का



यह दायित्व बनता है कि वह संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं से संवाद करें. मंत्री होने के नाते, हर कार्यकर्ता की समस्या का समाधान करना हमारा दायित्व है. संवाद की इस व्यवस्था से कार्यकर्ताओं की बात सही मंच पर पहुंच रही है और उनका समाधान भी हो रहा है.

निजी विमान कंपनियों को दिया 90.7 करोड़ किराया

सरकार से जनवरी से नवंबर 2025 तक किया भुगतान  
हेलीकॉप्टर का किराया 5.29 लाख प्रति घंटा

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 2 दिसंबर. सरकार द्वारा जनवरी 2021 से नवंबर 2025 तक विमान किराए के 290 करोड़ का भुगतान किया गया तथा जनवरी 2025 से नवंबर 2025 तक निजी विमान कंपनियों को 90.7 करोड़ किराए का भुगतान किया गया.

मुख्यमंत्री मोहन यादव के

4 अप्रैल 2023 को आयुक्त विमानन द्वारा जारी पत्र में लिखा कि पोस्ट कोविड में पर्यटन बढ़ गया तथा विमान की मांग बढ़ गई एवं कोविड के कारण विमान हेलीकॉप्टर का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ तथा लोकसभा चुनाव होने से विमान किराए की मांग अत्यधिक बढ़ गई है एवं रख रखाव तथा ईंधन में अत्यधिक वृद्धि हुई है. इसीलिए किराया बढ़ाया जाना तय किया गया है. इस आधार पर जिन विमान का किराया 2022-23 में 4.45 लाख प्रति घंटा था वह 2024 में बढ़कर 5.70 लाख प्रति घंटा, जिनका किराया 3.5 लाख प्रति घंटा था वह बढ़कर 4.75 लाख प्रति घंटा हो गया. लगभग सभी केटेगरी के विमान हेलीकॉप्टर किराए में 20% से 30% की वृद्धि की गई. प्रताप ग्रेवाल ने कहा कि 2023 में कोविड का बहाना करके किराया बढ़ाना कितना हास्यास्पद है. प्रदेश की आर्थिक स्थिति कर्ज प्रधान हो गई है, ऐसे में 5 लाख प्रति घंटे की दर से विमान किराए पर लेकर प्रतिवर्ष सैकड़ों करोड़ हवा में उड़ाने से उधार लो धी पीयो चल रहा है.

कार्यकाल में जनवरी 2024 से नंबर 25 तक 143 करोड़ का

भुगतान हुआ है. यह जानकारी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रताप ग्रेवाल के प्रश्न पर दी. मुख्यमंत्री ने बताया कि 2019 में विमान किराए पर खर्च 1.63 करोड़ प्रतिवर्ष बढ़कर 2025 में 90.7 करोड़ प्रतिवर्ष हो गया. विधायक पंकज उपाध्याय के प्रश्न के उत्तर में बताया कि शासन के पास वर्तमान में एक हेलीकॉप्टर चालू हालत में है तथा एक विमान मई 2021 से दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण ग्वालियर एयरबेस पर खड़ा है, यह उड़ान योग्य नहीं है. सरकार ने विमान किराए में 2022-23 से 2024-25 तक 20% से 30% से अधिक की वृद्धि की.

मक्का का पांच गुना मंडी शुल्क वसूला

मंडी समिति ने पकड़ा 50 टिन. अवैध मक्का से भरा मिनी ट्रक

राधेश्याम शर्मा, नवभारत बैरसिया, 2 दिसंबर. कृषि उपज मंडी समिति कार्यक्षेत्र में निरीक्षण दल सघन वाहन चैकिंग कर कृषि उपज के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने मंडी शुल्क की वसूली के लिए प्रयासरत है.

मंडी सचिव सुनील कुमार भालेकर के मुताबिक संयुक्त संचालक आंचलिक कार्यालय मंडी बोर्ड भोपाल के मार्गदर्शन एवं मंडी सचिव के नेतृत्व में निरीक्षण दल गठित है. मंगलवार को शमशाबाद से भोपाल विक्रय के लिए अवैध मक्का परिवहन कर ले



जा रहे एक मिनी ट्रक क्रमांक एमपी 34 जीओ 650 को 50 क्विंटल मक्का से भरा निरीक्षण दल ने पकड़ा है. और मंडी सचिव को सूचित कर वाहन को मंडी लाया गया. जहां वाहन में भरी कृषि उपज के आवश्यक दस्तावेज नहीं पाए गए. मंडी सचिव ने तुरंत आवश्यक कार्यवाही करते हुए ऑनलाइन फ्लाइंग स्कॉर्ड एप के माध्यम से को जाकर अवैध कृषि उपज परिवहन की.

नियमानुसार तौलकांटा पची के अनुसार उपज की पांच गुना शुल्क 3500 रुपए, निरसत शुल्क 700 एवं समझौता शुल्क 500 रुपए यानी कुल राशि 4700 रुपए मंडी कार्यालय में जमा कराकर सम्बंधित मनोज साहू पुत्र बारैलाल साहू को रसीद दी गई. मंडी सचिव ने बताया कि कृषि उपज की अवैध परिवहन के विरुद्ध आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी. इस कार्यवाही में मंडी सचिव के अलावा सहायक निरीक्षक पन्नालाल साहू, ओपी सुवर्णेशी, रज्जुलाल विश्वकर्मा विश्राम सिंह, रूपेंद्र त्रिपाठी आदि की मुख्य भूमिका रही.

बच्चों के स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करने का प्रयास

डॉ. पाण्डेय के सवाल के जवाब में मंत्री ने दी जानकारी

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 2 दिसंबर. महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा है कि सरकार बच्चों के स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है.

सरकार इस दिशा में निगरानी का भी प्रयास कर रही है. संबंधित एजेंसियां ऐसे मामलों में कार्रवाई भी कर रही हैं और बच्चों को पॉपको एक्ट की जानकारी भी दी जा रही है. भाजपा विधायक डॉ. अभिलाष पाण्डेय ने ध्यानकर्षण के माध्यम से प्रदेश में 14 वर्ष से

अपनों ने किया बेघर, कब्रिस्तान में गुजरी रात

जबलपुर. अजीजगंज पसियाना में रहने वाले युवक को अपनों ने बेघर कर दिया है. वह ठंड में कब्रिस्तान में रात गुजार रहा है. पौडित मो. मकसूद खान ने शिकायत की है कि उसके भाईयों मंसूर, महफूज एवं इनके पुत्रों महबूब, कल्लू, अमन द्वारा उसके हिस्से के मकान से निकाल दिया गया है.

**M.P. MADHYA KSHETRA VIDYUT VITARAN CO. LTD.**  
(A Govt. of M.P. Undertaking)  
Office of The Dy. General Manager (South) City Division, Office Add : Second Stop  
Tulsi Nagar, Bhopal, Phone No. : 0755-2678306 E-Mail : citysouthbpl@gmail.com  
No: DGM/CDS/PUR/4074  
Bhopal, Dated : 01.12.2025

**OFFER FOR HIRING VEHICLE**

MPPMKVVCL hereby invited offer/rate for hiring the below mentioned type of vehicle in the following locations :-

Name of Unit/Office	Particulars	EMD (Rs.)	Due Date of Submission of Offer	Opening Date & Time
Manger H.T.M. (Subdivision No. 02) South Under City Division South, Bhopal	Vehicle enquiry for hiring of one No. Type F-5 : Mahindra Bolero Camper Mini Pickup Double cabin With Ladder Model-2025 under Manger H.T.M. (Subdivision No. 02 City Division South, Bhopal	3000/-	08.12.2025 Up to 03.00 P.M.	08.12.2025 at 03.30 P.M.

Other details, terms and conditions are available on company website : <https://portal.mpcz.in> or the under signed office.  
M.P. Madhyam/123304/2025  
DGM (SOUTH) CITY DIVISION

**केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड**  
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)  
क्रमांक: सीबीईएस/भौ/कक्षा/14 (88)/2025  
दिनांक: 02.12.2025

**रिक्तियों की अधिसूचना**

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीईएस) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में संचालित प्रमुख राष्ट्रीय सार्वजनिक परीक्षा बोर्डों में से एक है. इसे अपने संबद्ध विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित करने और नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा सीबीईएस अंतर्गत गतिविधियां संचालित करने का अधिकार प्राप्त है. बोर्ड निम्नलिखित पदों को भरने हेतु अखिल भारतीय प्रतिस्पर्धी परीक्षा के आधार पर सीबीईसी कोटा परीक्षा 2026 (DRQ2026) के लिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है. उच्चतर उम्मीदवारों को सीबीईएस के किसी भी कार्यालय में नियुक्त किया जा सकता है. विधायित्व रिक्तियों की संख्या अस्थायी है और इसमें वृद्धि या कमी हो सकती है.

पोस्ट कोड	समूह	पदों का विवरण	अधिकतम आयु	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग/गेर-पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित वर्ग	कुल	रिज्यूगजन	पूर्व सैनिक	पदस्थापना स्थान
01/25		सहायक सचिव वेतन स्तर - 10	35	01	-	03	01	03	08	01	-	क्षेत्रीय आरक्षण
02/25		सहायक प्राध्यापक एवं सहायक निदेशक (शैक्षणिक) वेतन स्तर - 10	30	02	01	02	01	06	12	-	-	
03/25	ए	सहायक प्राध्यापक एवं सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) वेतन स्तर - 10	30	01	-	02	-	05	08	-	-	बोर्ड के किसी भी कार्यालय
04/25		सहायक प्राध्यापक एवं सहायक निदेशक (कोशल शिक्षा) वेतन स्तर - 10	30	01	-	01	-	05	07	01	-	
05/25		लेखा अधिकारी वेतन स्तर - 10	35	-	-	-	-	02	02	-	-	
06/25	बी	अधीक्षक वेतन स्तर - 6	30	04	02	07	02	12	27	01	-	
07/25		कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी वेतन स्तर - 6	30	01	01	02	-	05	09	01	-	
08/25	सी	कनिष्ठ लेखाकार वेतन स्तर - 2	27	03	01	04	01	07	16	01	-	
09/25		कनिष्ठ सहायक वेतन स्तर - 2	27	05	03	10	03	14	35	01	05	

**आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण की अवधि**  
ऑनलाइन आवेदन की अवधि 02.12.2025 से 22.12.2025 तक  
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (22.12.2025 को या उसके पहले, यानि 11.59 बजे तक)  
शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि - 22.12.2025 (यानि 11.59 बजे तक)

पत्राचार मानदंड, आयु में वृद्धि, परीक्षा शुल्क, वेतनमान, परीक्षा केंद्र, महत्वपूर्ण निर्देश, परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम, चयन प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, उम्मीदवार बोर्ड की वेबसाइट <https://www.cbse.gov.in> पर जा सकते हैं.  
सीबीईसी-21/107/0008/2526  
सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड